रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/ CHAITRA 1 , 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि- 274(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा;

(ख) उपनिरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या (1) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(ग) आशुलिपिक श्रेणी – 2 के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)" प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;

(घ) कुत्ता संभालने वाला सह सहायक-उप-निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या (3) के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)" प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;

(ii) स्तंभ (11) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) वाले समूह 'ग' हवलदार और बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्हें तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ जानवरों को संभालने में अभिरुचि हो " प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ङ.) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या (4) के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)" प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;

(ii) "स्तंभ (11) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात "(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.) के अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ";

(च) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं. (5) के सामने,-

(i) स्तंभ (2) में अक्षरों और कोष्ठकों "139 (2015)" के स्थान पर "143 (2017)" अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएगी।

(iii) स्तंभ (11) में,-

(अ) खंड (i) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों "ग्रेड वेतन 1800 रूपये" के स्थान "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ii) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों "ग्रेड वेतन 1800 रूपये" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(छ) हवलदार के पद से संबंधित क्रम सं. (6) के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)" प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी;

(ii) स्तंभ (6) में शब्दों और अंकों "18-25 वर्ष के बीच" के स्थान पर "18 से 27 वर्ष के बीच" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. क-12018/12/2013-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में सा. का. नि. 979 (अ) दिनांक 16 दिसंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the Schedule to the said rules, -

(a) in column (4), for the column heading, the column heading "Level in pay matrix" shall be substituted;

(b) against serial number 1 relating to the post of Sub-Inspector, in column (4), for the entries, the entries "Level – 4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)" shall be substituted;

(c) against serial number 2 relating to the post of Stenographer Grade- II, in column (4), for the entries, the entries "Level–4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)" shall be substituted;

(d) against serial number 3 relating to the post of Dog Handler-cum-Assistant Sub-Inspector, -

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level–2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)" shall be substituted;

(ii) in column (11), for the entries, the entries "Promotion from amongst Havaldar and Multi Tasking Staff Group C in Level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) having an aptitude for handling animals with three years regular service." shall be substituted;

(e) against serial number 4 relating to the post of Upper Division Clerk, -

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level–4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)" shall be substituted;

(ii) in column (11), for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

"(i) LDC in Level-2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200) with eight years of regular service in the grade.";

(f) against serial number 5 relating to the post of Lower Division Clerk, -

(i) in column (2), for the figures and brackets "139* (2015)", the figures and brackets "143* (2017)" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the entries, the entries "Level–2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)" shall be substituted;

(iii) in column (11), -

(A) in clause (i), for the words, letters and figures "in the Grade pay of Rs. 1800/-", the words, figures, brackets and letters "in Level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900)" shall be substituted;

(B) in clause (ii), for the words, letters and figures "with the grade pay of Rs. 1800/-", the words, figures, brackets and letters "in Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900)" shall be substituted;

(g) against serial number 6 relating to the post of Havaldar, -

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level–1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900)" shall be substituted;

(ii) in column (6), for the words and figures "Between 18-25 years", the words and figures "Between 18 and 27 years" shall be substituted.

[F.No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 979(E), dated the 16th December, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 275(अ). — राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।";

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ग) स्तंभ (6) में अंकों "18-25" के स्थान पर "18 से 27 वर्ष के बीच" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12018/12/2013-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड-3, उपखण्ड-(i) में सा.का.नि. 976(अ) तारीख 16 दिसंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 275(E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics Malti Tasking Staff (Group 'C' posts,) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics, Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics Malti Tasking Staff (Group 'C' posts,) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (i) of rule 1, for the word "Malti", the word "Multi" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.".

4. In the Schedule to the said rules, -

(a) in column (4), for the heading, the heading "Level in pay matrix" shall be substituted;

(b) in column (4), for the entry, the entry "Level – 1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900)" shall be substituted;

(c) in column (6), for the figures "18-25", the words and figures "Between 18 and 27 years" shall be substituted.

[F.No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 976(E), dated the 16th December, 2015.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.27 18:01:45 +05'30'